(I) A I IV

500Rs

(लिखा जाने वाला)

क्रम-संख्या

...प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रार्थी का नाम 28-4-04.

रविन्द्र जायसवाल

5804 20 20

प्रमाणीकरण के लिये शुल्क

करने का दिनांक

प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र

करने के लिये तैयार होगा 28-4-04

अधिकारी के हस्ताक्षर

पु0 पी0---02 दिनांक---10--8--2000--

... संख्या 13---10,470 पुस्तकें (जाब)

300129

मै रविन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 श्री रमाशंकर जायसवाल निवासी मकान नम्बर बी. 22/224 मोहल्ला खोजवा हल्का भेलूपुर शहर वाराणसी का हूं।

विदित हो कि मेरी यह हार्दिक इच्छा रही है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण व उसमे व्याप्त बुराइयां विशेषकर नवयुवकों में बढ़ते नशे की लत को रोकना एवं देश सेवा का कार्य करना तथा गरीबों, विद्यार्थियों के शिक्षा, भोजन, वस्त्र, पुस्तक, छात्रवृत्ति

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

रविन्द्र जायसवाल

ई-स्टाम्प

संख्या/दिनांक शुल्क लगभग उजरत ...

श्री/श्रीमती ...

निवासी ... मुहल्ला/ग्राम ... तहसील ... जिला वाराणसी (उ०प्र०)

सब रजिस्ट्रार वाराणसी ... दिनांक ... 28-4-04

रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किया

उप-निबन्धक द्वितीय

वाराणसी 28-4-04

... प्रतिफल अंकन ...

... अंकन ...

श्री/श्रीमती ... ने ... ग्रहण कर उपरोक्त ...

... पुत्र श्री ...

परगना ... जिला ... मुहल्ला ...

पुत्र श्री ...

परगना ... जिला वाराणसी ... मुहल्ला ...

उप-निबन्धक द्वितीय

वाराणसी 28-4-04

कृष्ण मोहन गुप्ता
(स्टाम्प विक्रेता)
कचहरी-वाराणसी

Scanned by CamScanner

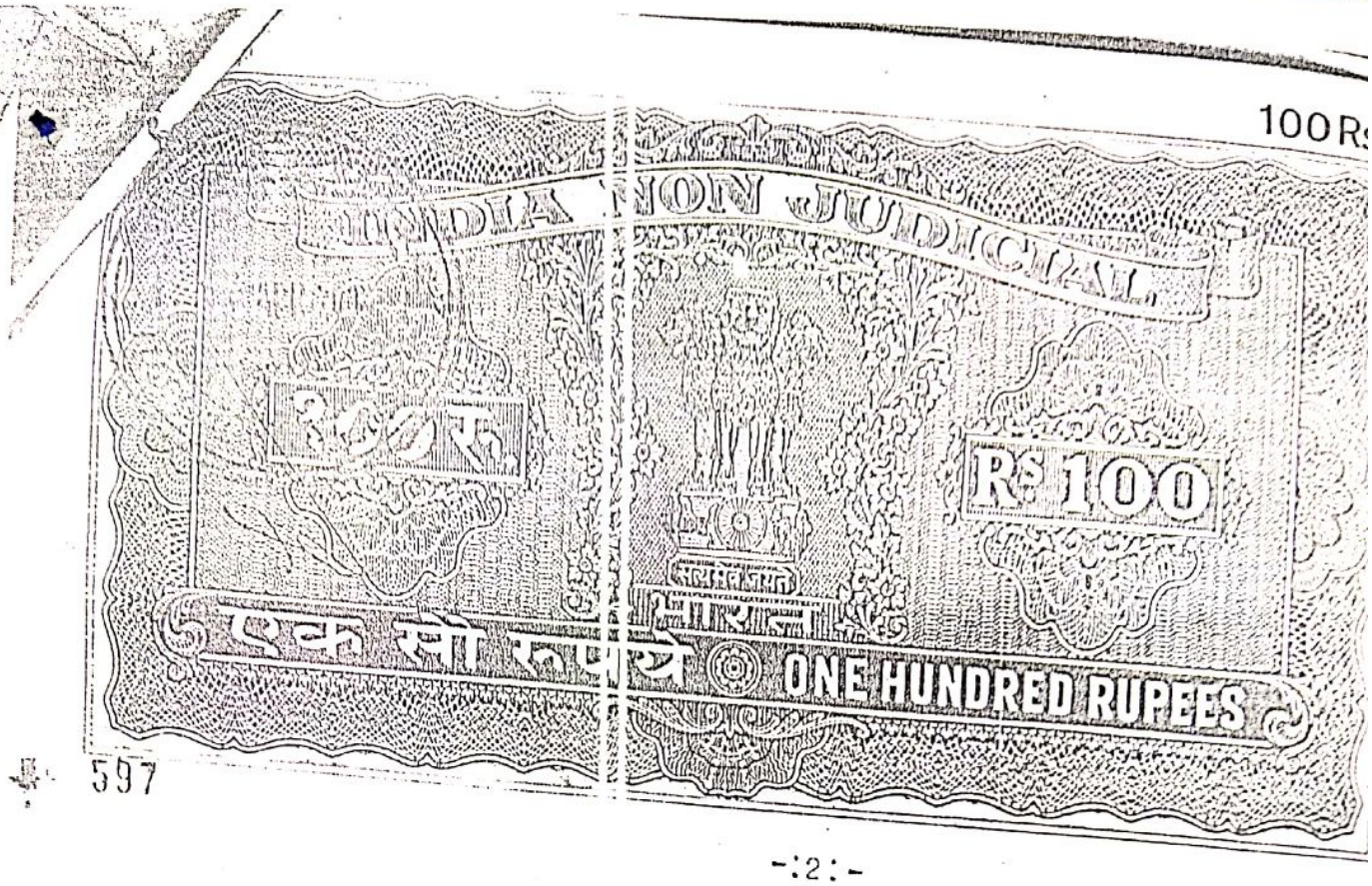

100 Rs

INDIA NON JUDICIAL

100 रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

597

-:2:-

कुंवारी कन्याओं की शादी, साहित्य, का प्रचार प्रसार, गौ सेवा व गौ संरक्षण, औषधालय, विद्यालय, वाचनालय का संचालन एवं बिना किसी रंग, जाति लिंग, के भेदभाव के जनसेवा के लिए एक स्थायी व्यवस्था कर दूं। वर्तमान में मेरे पास नकद 25,000/- पचीस हजार रुपया है। जिससे मैं उपरोक्त कार्य को प्रारम्भ करना चाहता हूं। यह कार्य मेरी इच्छानुसार स्थायी रूप से बराबर चलता रहे, इसके लिए एक न्यास की स्थापना करना आवश्यक है। मैं न्यास का संस्थापक न्यासी व ट्रस्टी रहूंगा। इस न्यास के प्रथम न्यासीगण ने न्यास का न्यासी होना स्वीकार कर लिया है। मैने नकद 10,000/- दस हजार रुपया प्रथम न्यासीगण को दे दिया है जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। चूंकि भविष्य मे न्यास के कार्य संचालन मे किसी प्रकार का व्यवधान न हो, और

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

बृज मोहन गुप्ता
(स्टाम्प विक्रेता)
...कचहरी - वाराणसी

तिवारी

विपिन दुबे

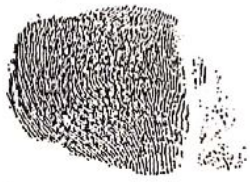

रजिस्ट्रार II वाराणसी
उत्तर प्रदेश

अंगुष्ठ छाप: भद्र साक्षियों के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये।

उपनिबन्धक द्वितीय
वाराणसी

Scanned by CamScanner

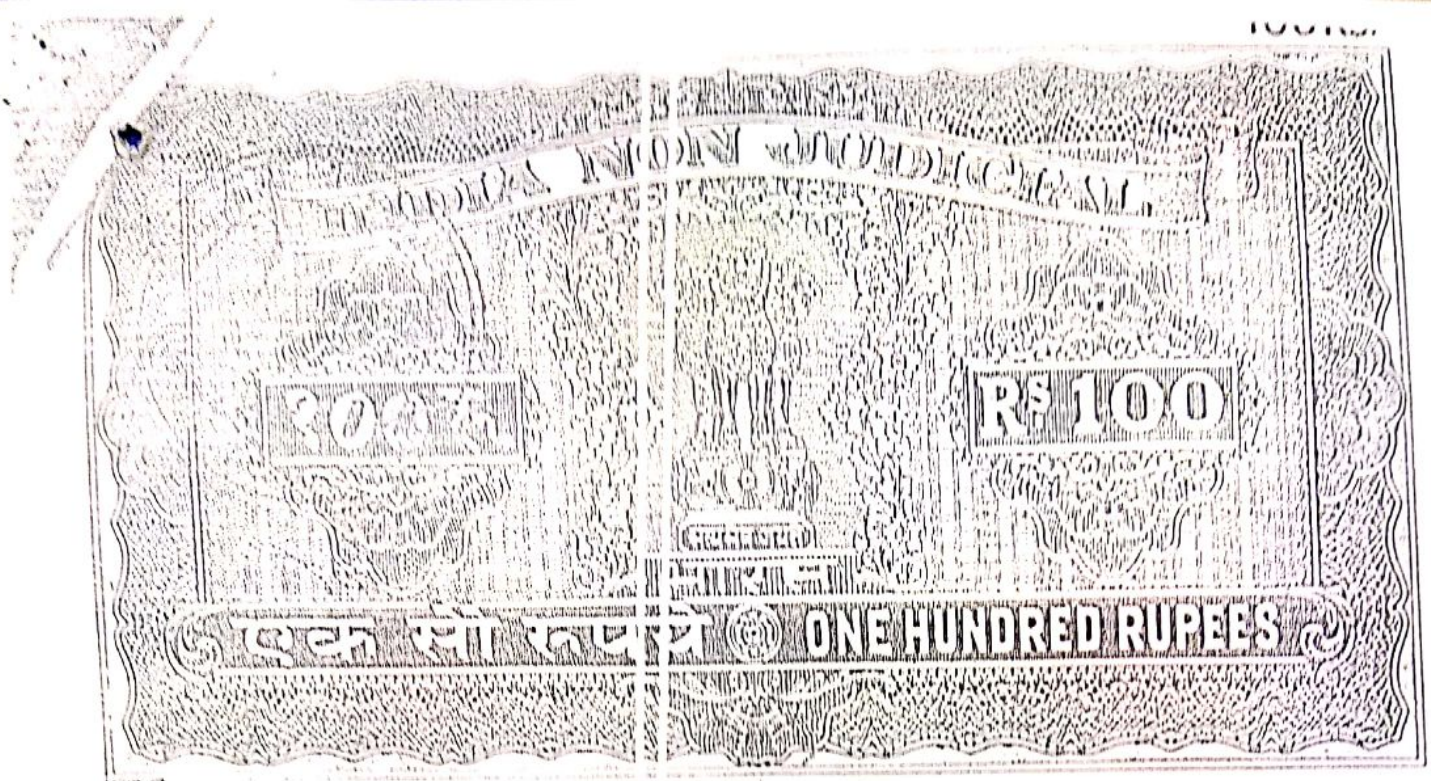

536

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हो, तथा किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए आवश्यक है कि न्यास के उद्देश्यों, प्रतिबन्धों व घोषणाओं आदि के संबंध में यह लेख पत्र बतौर " न्यास " के लिख दिया जाय। अतः मैं अपने मन, शरीर व इन्द्रियों की स्वस्थ अवस्था में प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दबाव के यह न्यास पत्र लिख कर अपने व अपने उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों को आबद्ध करता हूं :-

1- न्यास का नाम - न्यास का नाम श्री शंकर कृपा न्यास होगा।

2- न्यास का कार्यालय- वर्तमान में न्यास का कार्यालय भवन सं० बी० 22/224 मोहल्ला खोजवां शहर वाराणसी में होगा जो समयानुसार बदला जा सकता है।

R. S. WORLD SCHOOL
Manager

बृज मोहन गुप्ता
(स्टाम्प विक्रेता)
दीवानी कचहरी-वाराणसी

परगना ...17... जिला वाराणसी

उप-निबन्धक द्वितीय

Scanned by CamScanner

535

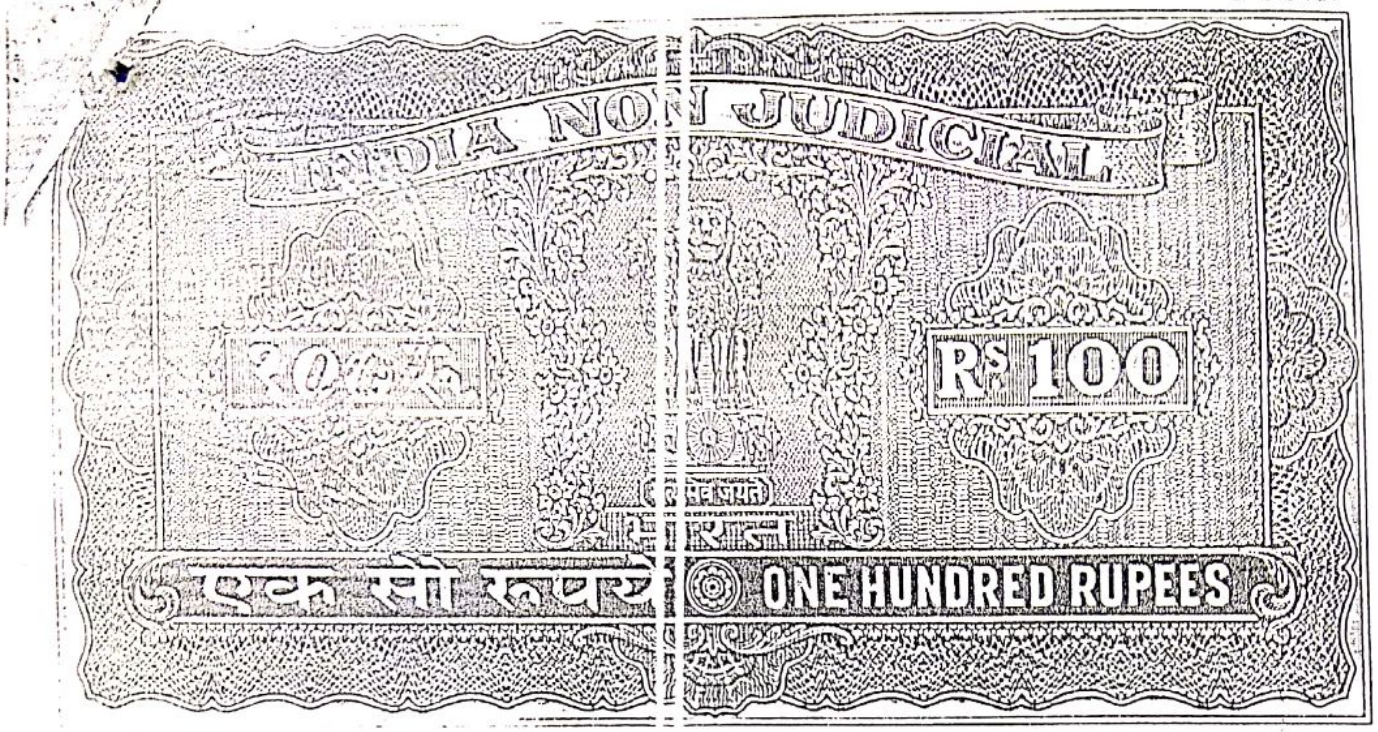

3- न्यास के संस्थापक - मैं स्वयं ट्रस्ट का संस्थापक : प्रणेता : हूँ व न्यासी मण्डल का एक सदस्य रहूँगा ।

4- न्यासी मण्डल - वर्तमान में निम्न व्यक्ति न्यासी मण्डल के न्यासी होंगे :

1- रविन्द्र जायसवाल पुत्र स्व०श्री रमाशंकर जायसवाल।
बी.22/224 खोजवां बजार वाराणसी
2- रामशंकर जायसवाल पुत्र स्व० केदार जायसवाल ।
बी 3/198 A खोजवां बजार, वाराणसी
3- श्रीमती अंजू जायसवाल पत्नी श्री रविन्द्र जायसवाल ।
बी.22/224 खोजवां बजार वाराणसी
4- कृष्णा जायसवाल पुत्र मनमोहन लाल भगत बड़ाबाज़ार हजारी बाग । झारखण्ड ।
5- श्रीमती लालमनी देवी पत्नी स्व० श्री रमाशंकर जायसवाल । बी22/224 खोजवां बजार वाराणसी

सभी निवासीगण भवन संख्या बी. 22/224 खोजवां, वाराणसी ।

R. S. WORLD SCHOOL
रवि० इ जायसवाल
Manager

28/10/04

बृज मोहन गुप्ता
(स्टाम्प विक्रेता)
कचहरी

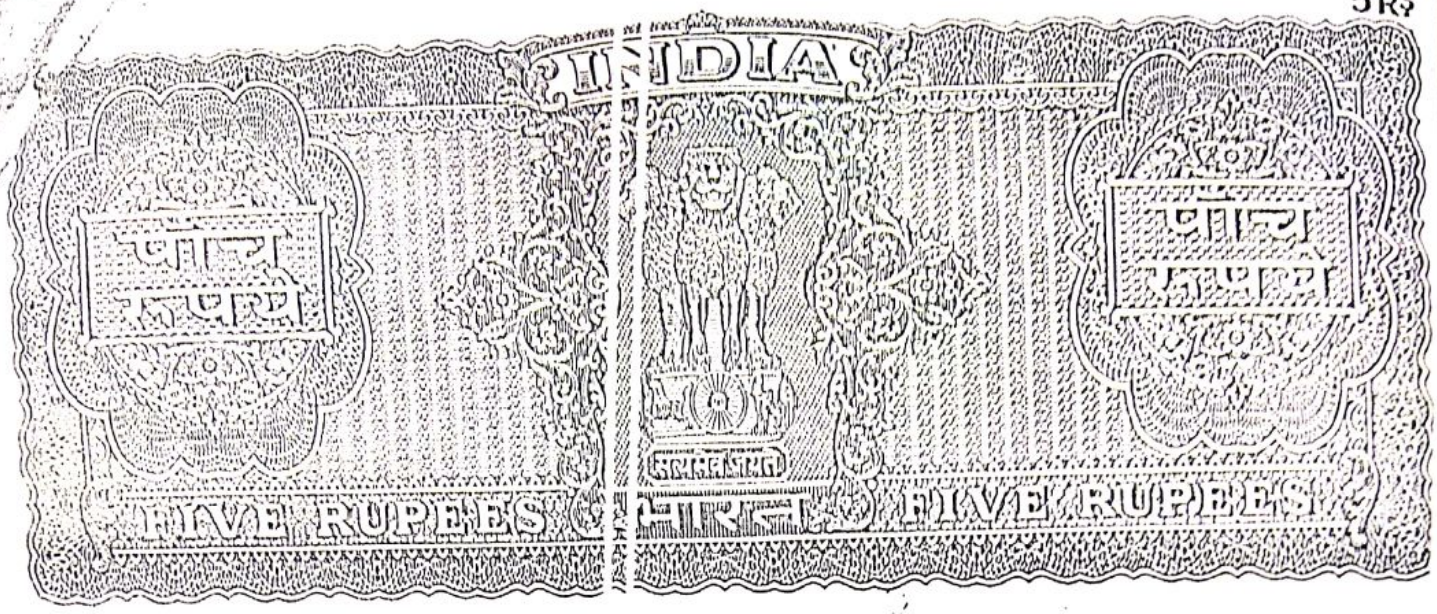

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

5- उद्देश्य-

1- जनसेवा के लिए निःस्वार्थ एवं पवित्र विचारों से गरीबों को मदद, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, ग्रामीण विकास आदि का कार्य बिना हानि लाभ के करना ।

2- एक स्वस्थ व सभ्य समाज हेतु शिक्षण संस्था स्थापित व संचालन करना ।

3- विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु उत्तम एवं अतिरिक्त अध्यापक, प्रोफेसर, एवं इन्सट्रक्टर्स की नियुक्ति कर विद्यार्थियों को माडर्न साइन्स इंडस्ट्रियल एवं रिसर्च की शिक्षा ग्रहण कराना ।

4- विद्यार्थियों हेतु बोर्डिंग हाउस व निवास हेतु स्थान ग्रहण कर स्थापित करना ।

5- ट्रस्ट के सुचारू रूप से संचालन हेतु न्यास के हित को ध्यान में रखते हुए दान व सहायता स्वीकार करना और उसे न्यास के हित व लाभ में व्यय करना ।

6- जन साधारण एवं आगन्तुकों हेतु धर्मशालाओं का निर्माण व उनका सुचारू रूप से संचालन करना ।

R. S. WORLD

Manager

Scanned by CamScanner

7 - पूजा स्थलों :मन्दिरों: का निर्माण कर उनका सुचारू रूप से संचालन करना ।

8 - धार्मिक संस्था की स्थापना एवं संचालन करना, जिसमें अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, बिना मूल्य के गरीबों व जरूरतमन्दों को भोजन देना, पथिक आश्रम का निर्माण एवं संचालन, वृद्ध आश्रम का निर्माण व संचालन, आरोग्य आश्रम का निर्माण व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायता [illegible] स्वीकार करना व भारतीय एवं विदेशी भाषा एवं शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य करना ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

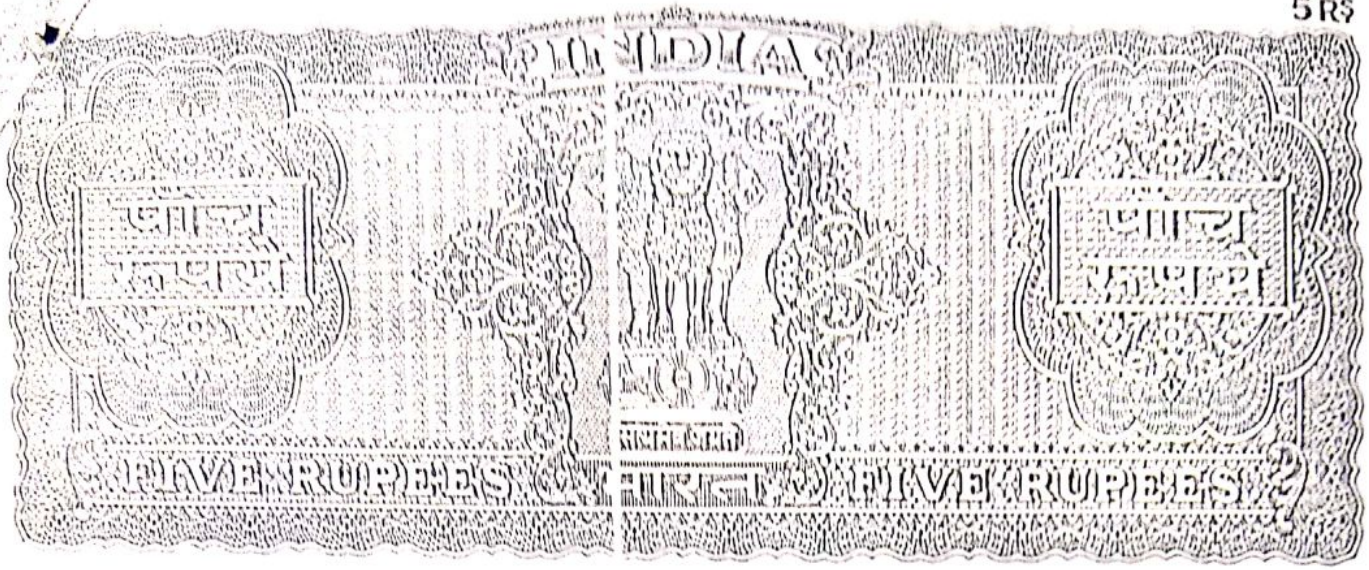

5 Rs

INDIA

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

-:7:-

10- मानव मात्र में नैतिक एवं धार्मिक विचारों के प्रोन्नति एवं प्रचार के लिए कार्य करना, धार्मिक प्रवचन संत महात्माओं की सेवा आदि करना ।

11- लाभार्जन के उद्देश्य से कोई भी कार्य न करते हुए रंग, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग कुल अथवा लिंग भेद के बिना भारतवर्ष में अथवा विश्व में कहीं भी सभी प्रकार के धर्मार्थ व दातव्य क्रियाकलापों को जनहित में करना । इसमें गरीबों की सहायता, शिक्षा चिकित्सा सहायता व विकास आदि भी सम्मिलित है ।

12- निर्धन मेधावी व जरूरत मन्द छात्रों को छात्रवृत्ति व पुस्तकें व भोजन, वस्त्र उपलब्ध कराना ।

13- टैक्नीकल विद्यालय, महाविद्यालय, विधि विद्यालय, मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज चलाना ।

14- चिकित्सालयों व औषधालयों की स्थापना तथा सहायता करना ।

15- जरूरत मन्द रोगी, अपंग और आपदाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना ।

R. S. WO...

Manager

Scanned by CamScanner

5 R$

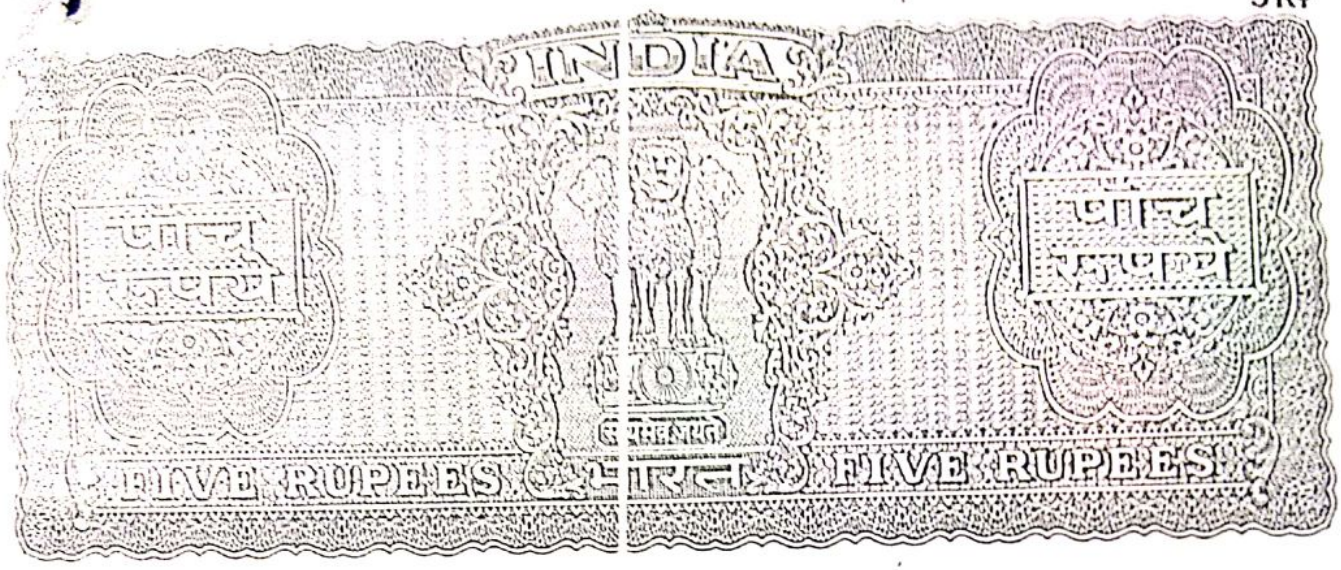

16- बाढ़, अकाल, भूकम्प या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय सहायता कार्य करना ।

17- बिना जाति, धर्म, लिंग भेद के उपरोक्त उद्देश्यों का भारत व विदेशों में प्रचार प्रसार करना है, जिसके लिए किसी व्यक्ति, संस्था, नगर निगम, जिला परिषद, प्रदेश या केन्द्र सरकार, विदेशों व अन्य जनसेवा ट्रस्ट या इसी प्रकार की अन्य धार्मिक संस्थाओं को मदद प्राप्त करना ।

6- <u>न्यास के कोष</u> -

मैंने मुबलिग 25000/- पचीस हजार रुपया न्यास को समर्पित किया है, जो वर्तमान में न्यास का मूल कोष होगा, जिसे अन्य न्यासीगण ने स्वीकार कर लिया है, और भविष्य में जो सहायता या दान न्यास को प्राप्त होगा, वह न्यास के कोष में जमा होता रहेगा । जिसकी आय से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति की जायेगी।

रविन्द्र जायसवाल

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

Scanned by CamScanner

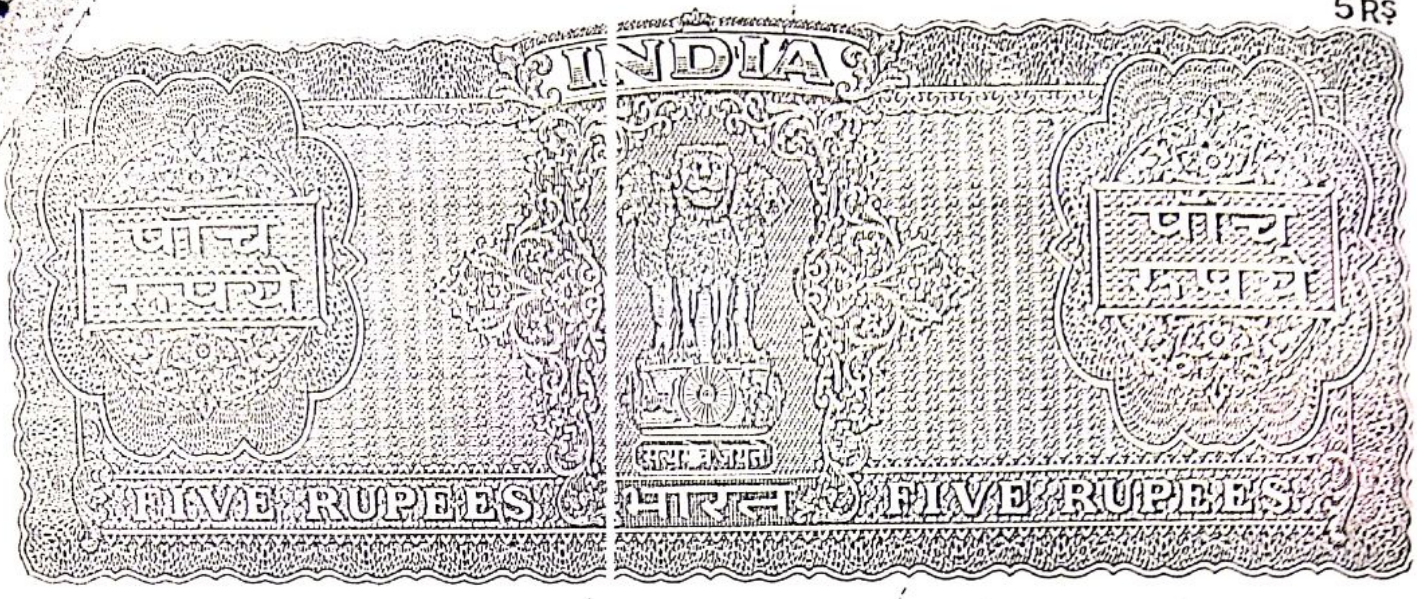

7- प्रन्यास -

न्यासी मण्डल न्यास निधि को निम्न विश्वासों पर अपने संरक्षण में रखने का अधिकारी होगा :-

1- आय का एकत्रीकरण :-

न्यास कोष का प्रबन्ध करना और उसपर ब्याज आय व प्राप्तियों को एकत्र व वसूल करना ।

2- प्रासंगिक व्ययों का भुगतान -

समय समय पर उपरोक्त आय का प्रासंगिक व्ययों लागतों का भुगतान करने में एवं न्यास कोष के प्रबन्धन व न्यास सम्पत्ति से संबंधित मरम्मत रख रखाव, बीमा, करारोपण, कर्मचारियों के वेतन व मजदूरी और अन्य प्रभारों के लिए आवश्यक राशि के भुगतान हेतु उपयोग करना ।

3- विनियोजन -

उपरोक्त उद्देश्यों की सम्पूर्ण या आंशिक पूर्ति के लिए समय समय पर न्यास की आय का विनियोजन व उपयोग न्यास मण्डल द्वारा किया जायेगा ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

Scanned by CamScanner

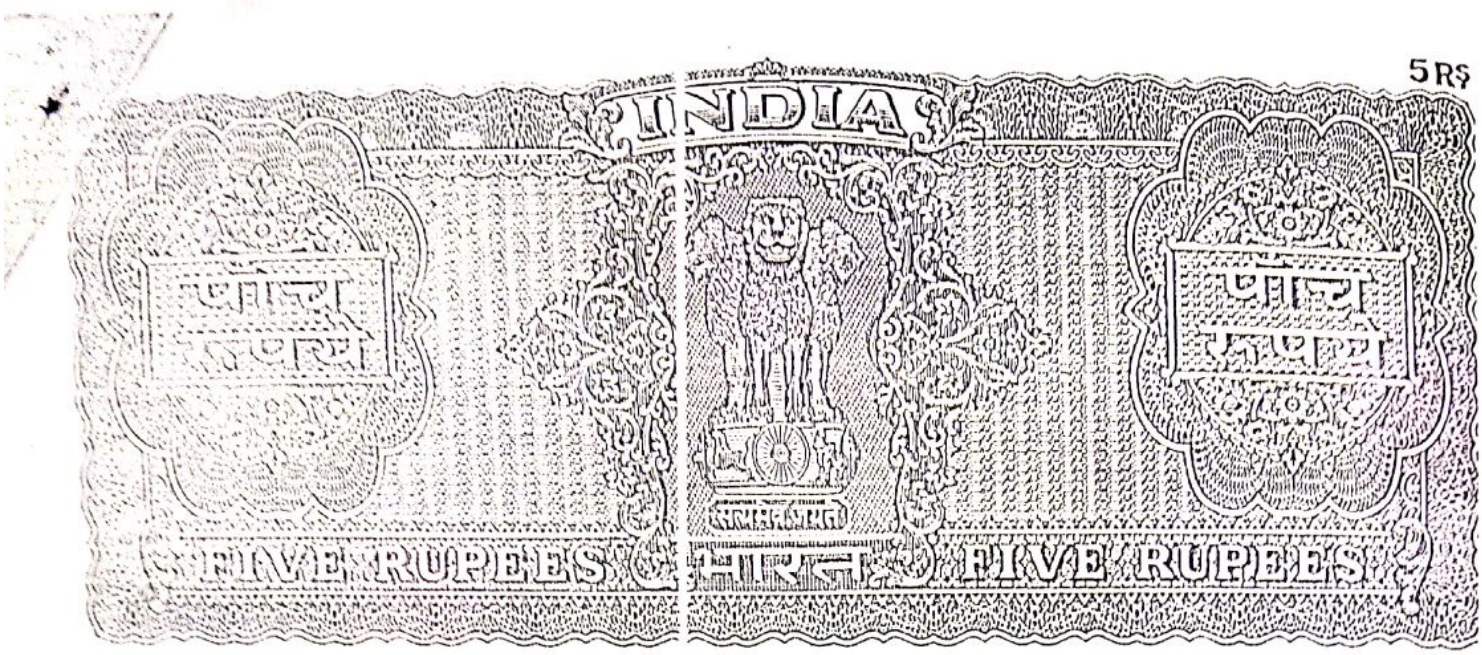

4- आय व न्यास निधि/कारपस/ का उपयोग -

न्यास मण्डल अपनी समझ के अनुसार उपरोक्त उद्देश्यों को सम्पूर्ण या आंशिक पूर्ति के लिए न्यास को आय व न्यास निधि का उचित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

5- संचयन -

यदि किसी वर्ष विशेष की आय, दान व योगदान उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाती है, तो ऐसी बची हुई आय को संचित करके अगले वर्ष या वर्षों में ले जाने के लिए न्यास मण्डल अधिकारी होगा ।

6- प्रबन्ध न्यासी -

प्रबन्ध न्यासी रविन्द्र जायसवाल प्रणेता इस न्यास के प्रथम प्रबन्ध न्यासी होंगे, जो अपने जीवन पर्यन्त इस पद पर बने रहेंगे, तथा उन्हें किसी को भी प्रबन्ध न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा। प्रबन्ध न्यासी न्यास के कार्यवाहक अधिकारी होंगे एवं उनपर न्यास मण्डल के निश्चयानुसार न्यास की गतिविधियों के संचालन करने का उत्तरदायित्व होगा ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

रविन्द्र जायसवाल

5RS

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

-: 11 :-

7- न्यासी मण्डल की संख्या -

1- न्यासी मण्डल में न्यासीगण की कुल सं० 5 होगी ।

2- सभी वर्तमान न्यासी अपने जीवनकाल तक ट्रस्टी बने रहने के अधिकारी होंगे ।

8- न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य -

न्यास मण्डल में सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त निम्न अधिकार निहित होंगे :-

1- सम्पत्ति का प्रबन्ध -

क- न्यास की चल तथा अचल सम्पत्ति की रक्षा करना ।

ख-- चल तथा अचल सम्पत्ति को क्रय करना ।

ग-- न्यास के हित की दृष्टि से चल या अचल सम्पत्ति को विक्रय करना ।

घ- अचल सम्पत्तियों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विस्तार, मरम्मत या रख रखाव करना ।

ड- तम्बाकू के विकल्प हेतु कोई हानिरहित हर्बल तयार करने हेतु कारखाना आदि लगाना व चलाना व उसकी समुचित व्यवस्था करना ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

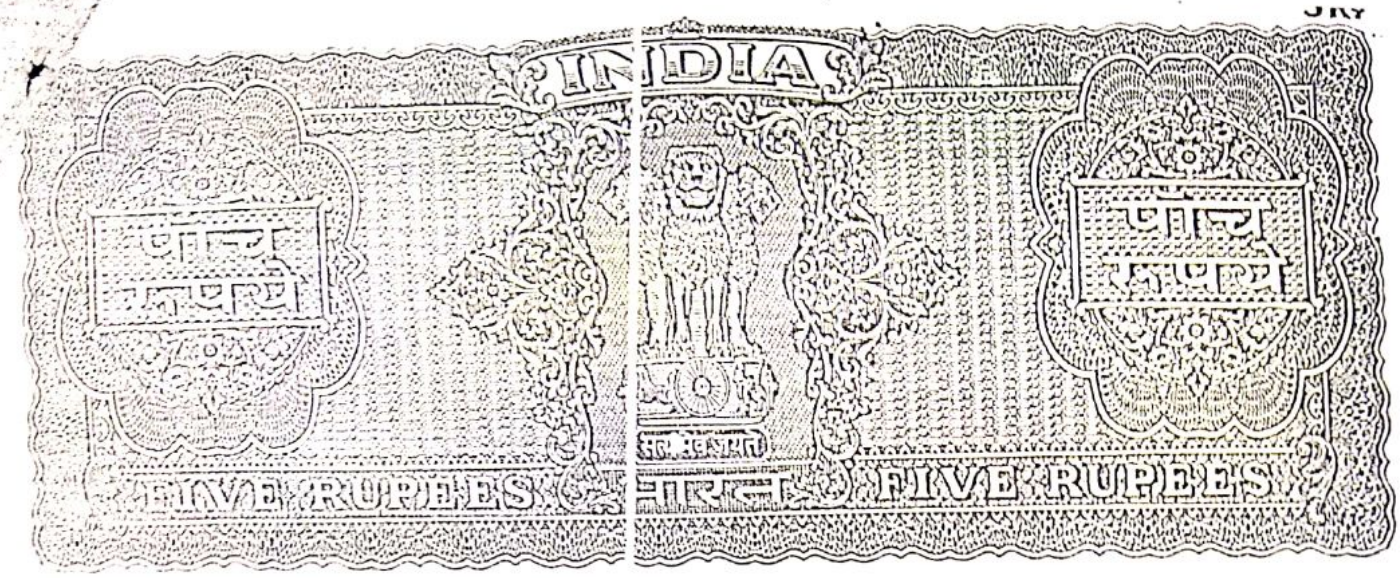

2- दान व अनुदान लेना -

न्यास के किसी भी उद्देश्य के लिए नकद या चल अचल सम्पत्तियों के रूप में दान, चन्दा, अनुदान उपहार इत्यादि प्राप्त करना ।

3- बैंक खाते -

न्यास के नाम से बैंक में खाते खोलना, उनका संचालन इत्यादि न्यास मण्डल के द्वारा निश्चित किये गये तरीकों एवं व्यक्ति द्वारा होगा ।

4- निवेश -

न्यास कोष और अन्य सभी विद्यमान राशियों को आयकर, कानून द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत तरीकों से निवेश करना ।

5- दस्तावेजों की सुरक्षा -

न्यास कोष और न्यास सम्पत्तियों से संबंधित स्वत्वप्रलेखों, प्रतिभूतियों, विनियोगों और अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा हेतु अनुसूचित बैंक में लाकर खोलकर जमा करना और न्यास के विनियोगों, निवेशों पर ब्याज या अन्य आयों की वसूली के लिए बैंक के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था करना ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

Scanned by CamScanner

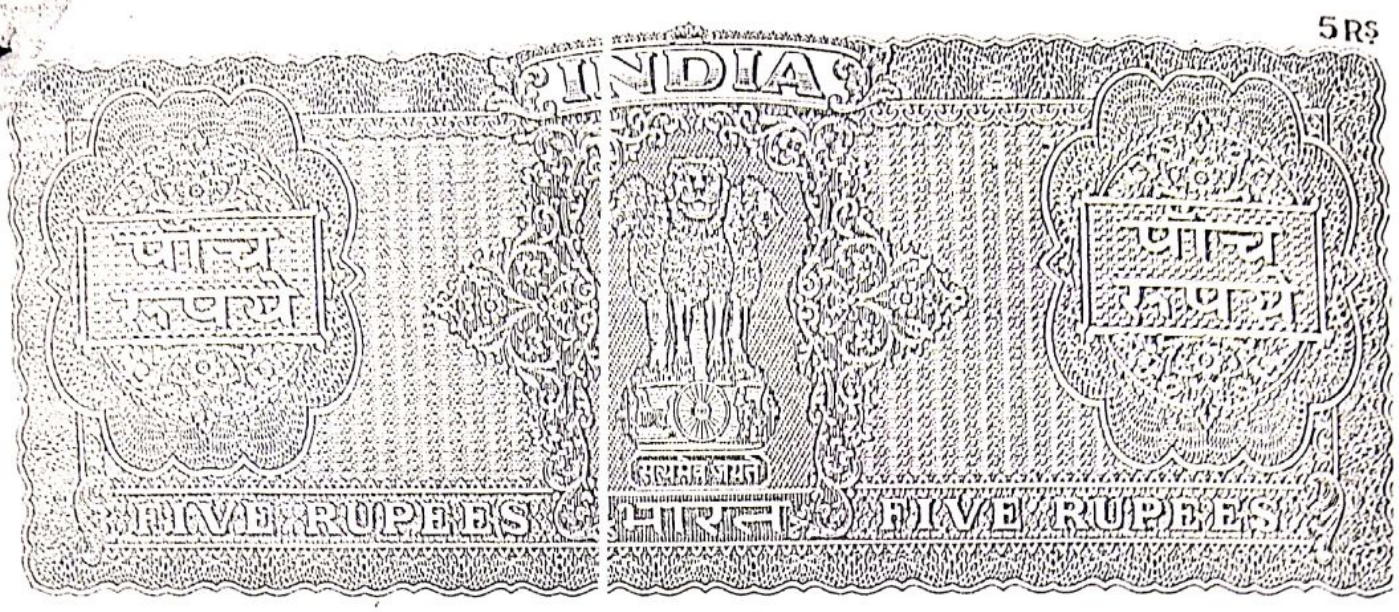

5 RS

6- दान देना -

इस न्यास के उद्देश्यों या उनसे मिलते जुलते उद्देश्यों को संचालित करने वाली संस्थाओं को नकद या अन्य रूप में अनुदान व दान देना ।

7- न्यासी द्वारा त्यागपत्र या हटाया जाना -

न्यासीगणों में से किसी के भी द्वारा दिये गये लिखित त्यागपत्र पर विचार करना और उचित प्रतीत होने पर उसे स्वीकृत करना तथा आवश्यक होने पर किसी न्यासी को हटाना व किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने की दशा में अन्य किसी को न्यासी मण्डल में सम्मिलित करना ।

8- समितियां -

उपर्युक्त अधिकारों व नियंत्रण के अधीन, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस न्यास के किसी एक न्यासी या न्यासीगण तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं व व्यक्तियों के साथ बनी समितियों और उपसमितियों नियुक्त करना । ऐसी समितियां या उप समितियां न्यासी मण्डल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी और समय समय पर न्यासी मण्डल ऐसी समितियों या उपसमितियों को विघटित कर सकेगा ।

R. S. WORLD SCHOOL
Manager

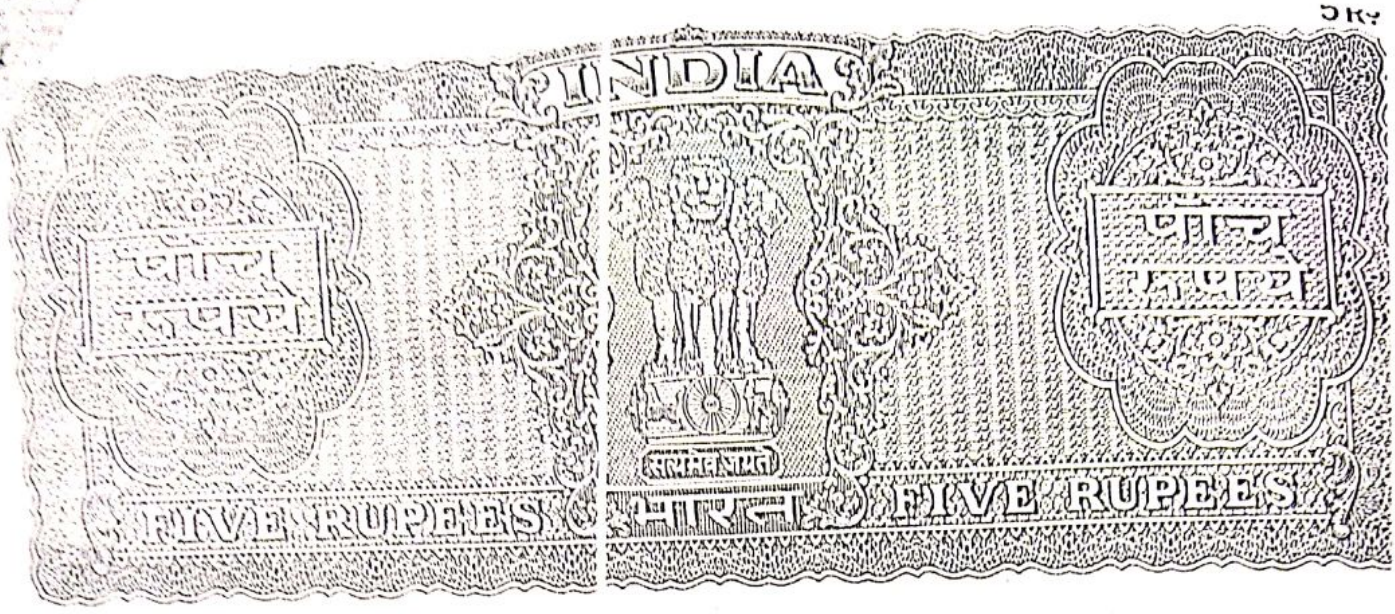

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

FIVE RUPEES

-:14:-

9- प्रतिनिधि व प्राभिकर्ता -

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिनिधि या प्राभिकर्ता को नियुक्त करना और पदमुक्त करना ।

10- कर्मचारी -

उपर्युक्त शर्तों पर सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों पुजारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति करना और उनको पदमुक्त करना ।

11- वैधानिक कार्यवाही -

न्यास के द्वारा या न्यास के विरुद्ध या न्यास के मामलों से किसी अन्य प्रकार से संबंधित किसी वैधानिक कार्यवाही को करना ।

12- उपविधान -

न्यास और इसके मामलों के प्रभावी प्रबन्ध के लिए, समय समय पर योजनाओं, व्यवस्थाओं, विधानों, उपविधानों, नियमों और अधिनियमों को उपर्युक्त रूप से बनाना, उनमें संशोधन, व परिवर्तन करना या उनका निरसन करना ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

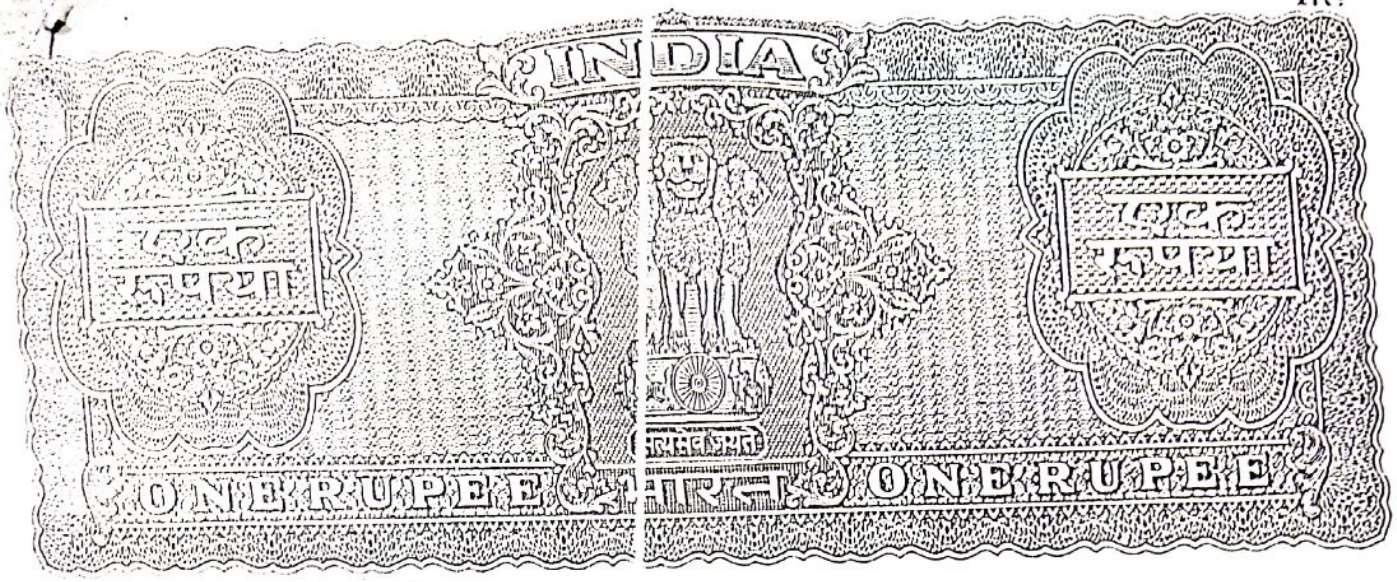

13- मध्यस्थता -

कदाचित गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में उसका समाधान मध्यस्थ निर्णय द्वारा किया जायेगा ।

14- न्यासी मण्डल को अधिकार होगा कि वह न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्य संचालन के लिए अन्य कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति करें, ऐसे कर्मचारियों का वेतन न्यास के कोष में आय से दिया जायेगा ।

15- न्यासी मण्डल को अधिकार होगा कि न्यासपत्र में वर्णित उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त जनहित के अन्य उद्देश्यों को न्यास के उद्देश्यों में सम्मिलित कर सकते है, अथवा अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्य कर सकते हैं ।

16- न्यास मण्डल न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए न्यासीगण समय समय पर न्यास के नियमों, उपनियमों, योजनाओं, व्यवस्थाओं में संशोधन व परिवर्तन नये नियम का निर्माण कर सकते है ।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

21-5-2014

17 - संशोधन -

इस न्यासपत्र के किसी भी प्राविधान का संशोधन करना ।

9. सभा की कार्यवाही -

1- सभा की सूचना -

क- न्यास मण्डल की सभा, कम से कम 7 सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलायी जा सकती है ।

ख- सूचना में सभा के स्थान, दिनांक और सभा में विचार किये जाने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण होगा ।

2- गणपूर्ति -

किन्हीं तीन न्यासीगणों की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यासीमण्डल की सभा के लिए गणपूर्ति करेगी (कोरम) सभा के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

3- प्रस्ताव-

प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से या साधारण बहुमत से लिया जायेगा और मत विभाजन बराबर की स्थिति में सभा का सभापति एक और निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा ।

R. S. WORLD SCHOOL
Manager

Scanned by CamScanner

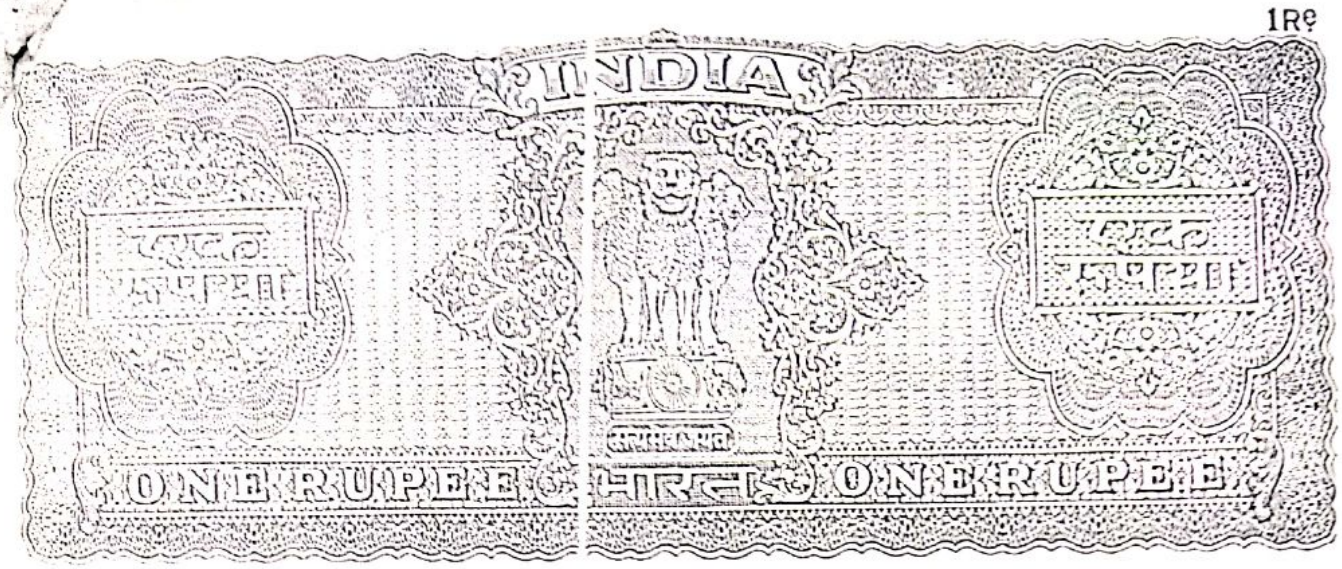

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-: 17 :-

4- कार्य वृत्तांत -

न्यास मण्डल की सभाओं की समस्त कार्यवाही का कार्य वृतान्त एक कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा ।

10- अंकेक्षण -

न्यास के अन्तिम खातें प्रत्येक साल 31 मार्च को बनाये जायेंगे और न्यास मण्डल द्वारा अंकेक्षण के रूप में नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षण (आडिट) किए जायेंगे ।

11- न्यास के अन्य नियम व प्रतिबन्ध-

1. वर्तमान समय में न्यास के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। परन्तु भविष्य में न्यास मण्डल न्यास के नाम से अचल सम्पत्ति अर्जित अथवा प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार की जो सम्पत्ति प्राप्त होगी, वह न्यास के नाम से होगी, एवं उसका स्वामित्व एवं अधिकार न्यास में निहित होगा ।

R. S. WORLD SCHOOL
Manager

Scanned by CamScanner

2- न्यास को प्राप्त होने वाली कोई चल व अचल सम्पत्ति न्यासीगण में से कोई अपने व्यक्तिगत नाम से न प्राप्त करेगा न स्वीकार करेगा ।

3- न्यासीगण को न्यास के कोष को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्तिगतहित के लिए खर्च करने का अधिकार न होगा ।

4- न्यास के अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण सभी न्यासी-गण के सहमति एवं सक्षम न्यायालय के अनुमति से हो हो सकता है, अन्य दशा में न्यास के सम्पत्ति का हस्तान्तरण सर्वथा अवैधानिक एवं न्यास के नियमों के विपरीत समझा जायेगा, तथा इसका प्रभाव शून्य होगा ।

5- न्यास के किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ उठाने का अधिकार न्यासीगण को नहीं होगा ।

12- अखण्डनीय और सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास -

एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह न्यास अखण्डनीय और सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास होगा । इस न्यास के विघटन या समापन की स्थिति में, न्यास निधि का उपयोग सर्वप्रथम न्यास के दायित्वों

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

Scanned by CamScanner

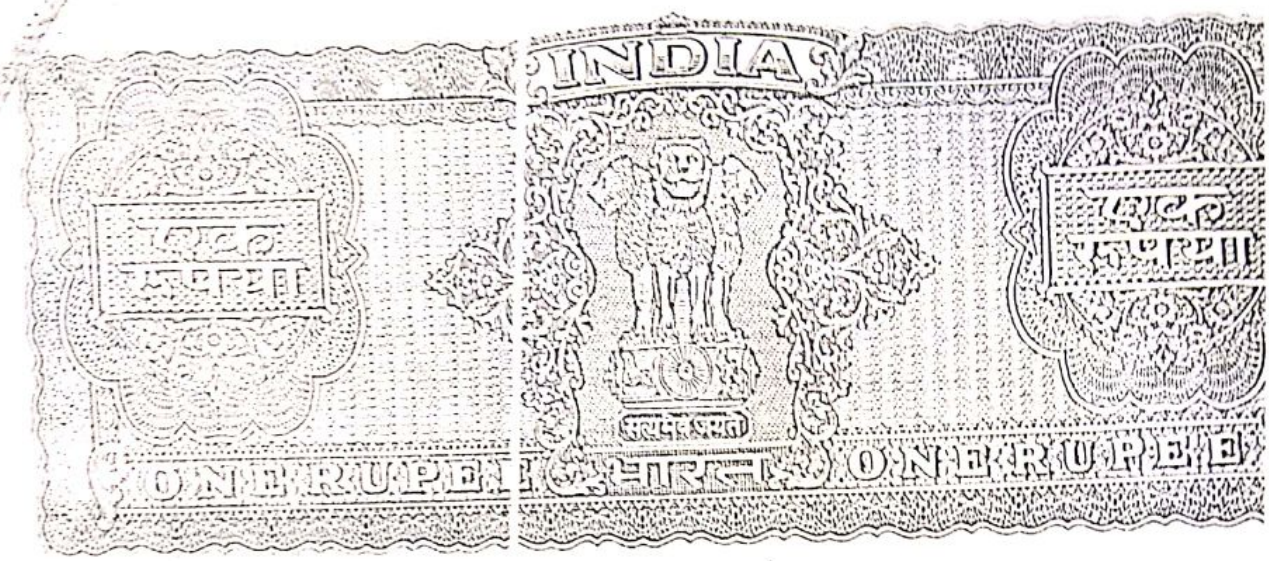

को भुगतान करने में किया जायेगा और शेष बचे आधिक्य को न्यासी गणों को भुगतान या वितरित करने के बजाय इस न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था या न्यास को सौंप दिया जायेगा ।

इसलिए भली भांति पढ़ व पढ़वाकर, सुन व समझ कर अपनी स्वेच्छा से यह न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे ।

साक्षी के नाम पता व हस्ताक्षर -	प्रणेता के हस्ताक्षर
1- विपिन दुबे S/o श्री अशोक दुबे हथुआ बाजार वाराणसी.	रविन्द्र जायसवाल रविन्द्र जायसवाल
2- बनारसी सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह ग्रा० - रामसिंह पुर हरहुआ वाराणसी	रविन्द्र

R. S. WORLD SCHOOL
Manager

Scanned by CamScanner

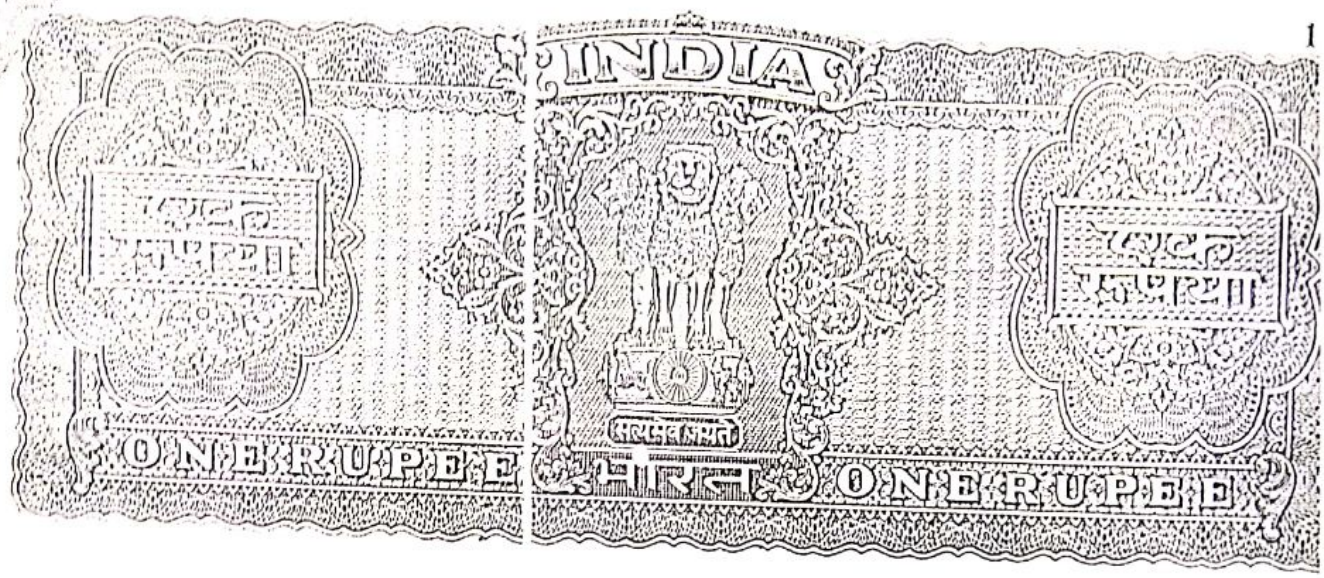

1

-:20:-

तहरीर तारीख :- 28-4-2004 ई0

गवाहान :-

1- विपिन दुबे हरहुआ बाजार वाराणसी
s/o श्री अशोक दुबे.

2- बनारसी सिंह पुत्र संपत सिंह
गवाह - रणजीत सिंह पुत्र हरदेव
वाराणसी

मसविदाकर्ता :- [illegible]
दीवानी कचहरी वाराणसी।
टाईपकर्ता प्रमोद कुमार प्रमोद कुमार
दीवानी कचहरी वाराणसी।

R. S. WORLD SCHOOL

Manager

[illegible]